



बिहार सरकार

## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

किसान बंधुओं के लिए कृषि वानिकी-अन्य प्रजाति योजना में शामिल होने का सुअवसर

### योजना का उद्देश्य

- राज्य के किसानों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण।
- राज्य में वृक्षारोपण द्वारा हरियाली में वृद्धि एवं
- पर्यावरण शुद्धीकरण।

### योजना में दिये जाने वाले लाभ

- योजना में शामिल होने वाले उद्यमियों/कृषकों/लाभुकों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थानीय पौधशालाओं से 10 रुपया सुरक्षित मूल्य प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाते हैं।
- पौधों की देखभाल के लिये कृषकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। 3 वर्षों के उपरान्त 50 प्रतिशत से अधिक उतरजीविता रहने पर 60 रु० प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि तथा सुरक्षित मूल्य 10 रु० भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
- प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी।
- पौधों पर किसान बंधुओं का संपूर्ण अधिकार।

### चयन में प्राथमिकता

1. 2 हे० न्यूनतम भूमि (एक साथ) पर वृक्षारोपण करने के इच्छुक (i) किसान (ii) किसान समूह
2. (i) पूर्व से लगाये गये वृक्षों के साथ मिलाकर भूमि का रकबा 2 हे० एवं (ii) विभाग द्वारा पूर्व से लगाये गये वृक्षारोपण के बगल की जमीन।

### योजना में शामिल होने के लिए पात्रता

- न्यूनतम 100 पौधे लगाने लायक भूमि (निजी/लीज)।

### आवेदन कहाँ करें

स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय

या

संबंधित जिला के वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय।

या

**[hariyalimission@gmail.com](mailto:hariyalimission@gmail.com)** पर ई-मेल करें

### आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजात

- भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/अद्यतन लगान रसीद/लीज डीड की छायाप्रति।

### विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें

- संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय
- वेबसाइट:- **[www.forest.bih.nic.in](http://www.forest.bih.nic.in)**
- ई-मेल:- **[hariyalimission@gmail.com](mailto:hariyalimission@gmail.com)**

## आवेदन प्रपत्र

1. वन प्रमंडल का नाम :- .....
2. जिला का नाम :- .....
3. वन प्रक्षेत्र इकाई का नाम :- .....
4. प्रखंड का नाम :- .....
5. आवेदक का नाम :- .....
6. पिता/पति का नाम :- .....
7. पेशा :- .....
8. जन्म तिथि :- .....
9. स्थायी पता :- .....
10. वर्तमान पत्राचार का पता :- .....
- (दूरभाष/मोबाईल नं०) .....
11. ई-मेल (यदि हो) :- .....
12. भूमि का विवरण :-

| क्र० | खाता नं० | खेसरा नं० | रकबा (एकड़ में) | रसीद सं०/वर्ष |
|------|----------|-----------|-----------------|---------------|
|      |          |           |                 |               |

13. समूह में आवेदन करने पर भूमि की विवरणी (जगह कम पड़ने पर अलग पृष्ठ में विवरणी संलग्न करें।)

| क्र० | खाता नं० | खेसरा नं० | रकबा (एकड़ में) | रसीद सं०/वर्ष |
|------|----------|-----------|-----------------|---------------|
|      |          |           |                 |               |

14. अगर आप प्राथमिकता क्रम 2 (i) या 2 (ii) के तहत दावा रखते हों तो इसकी विवरणी अंकित करें।

15. प्रस्तावित वृक्षारोपण (कृपया ✓ करें) (क) फार्म वानिकी (पूरी भूमि पर)  
(ख) कृषि वानिकी (कृषि फसलों के साथ या मेड़ पर)

16. इच्छित प्रजाति का नाम लिखें।

| क्र० सं० | प्रजाति का नाम | पौधों की संख्या |
|----------|----------------|-----------------|
|          |                |                 |
|          |                |                 |
|          |                |                 |
|          |                |                 |

17. बैंक खाता विवरणी :-

| बैंक खाता नं० | बैंक का नाम एवं शाखा | I.F.S.C कोड |
|---------------|----------------------|-------------|
|               |                      |             |

18. घोषणा :- मैं स्वेच्छा से अपनी भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहता/चाहती हूँ तथा रोपित पौधों की सुरक्षा एवं संपोषण की जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ। वृक्षों के परिपक्व होने अथवा आँधी तूफान में गिरने/सूखने की स्थिति में ही इन पौधों की कटाई आवश्यकतानुसार करूँगा/करूँगी।

संलग्न अभिलेख की विवरणी

- 1.
- 2.
- 3.

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

तिथि के साथ